



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705।
No. 705।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

वित्त-मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 792(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार एतद्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2022 कहा जायेगा।
(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 में, अनुसूची में,-
(क) अनुसूची खं में, क्रम संख्या 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

“24. 4-AP

25. 1-boc-4-AP
26. नॉरफेनटानील
27. अल्फा -फेनीलाकेटोएस्टोनिट्रीले (APAAN)";
- (ख) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबन्धित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -
- "24. 4-AP
25. 1-boc-4-AP
26. नॉरफेनटानील
27. अल्फा -फेनीलाकेटोएस्टोनिट्रील (APAAN)".

[फा.सं. N/11011/2/2021-NC-II]

मुकेश मुन्द्रियाल, अवर सचिव

नोट: प्रधान आदेश, सा. का. नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राज-पत्र के असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद इसमें सा. का. नि. 186(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, सा. का. नि. 779(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 और सा. का. नि. 536 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2020 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2022

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 namely: -

1. **Short Title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the SCHEDULE, -
(a) in Schedule B, after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
"24. 4-AP
25. 1-boc-4-AP
26. Norfentanyl
27. Alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)";
(b) in Schedule C, after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

- “24. 4-AP
- 25. 1-boc-4-AP
- 26. Norfentanyl
- 27. Alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)”.

[F. No. N/11011/2/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide*, number G.S.R. 191(E), dated the 26th March, 2013 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 186(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 779(E), dated the 14th October, 2019 and G.S.R. 536(E), dated the 26th August, 2020.